अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम जहाजपुर (भीलवाड़ा)

फर्द अहकाम

[illegible]

[illegible]

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 [illegible] मुकदमा नं. [illegible]/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
१५.05.22	प्रार्थना पत्र [illegible] के बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम उदापुरिया प. ह. धुंवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. नं. 263 रकबा 0.1376 हैक्टैयर, 264 रकबा 0.1457 हैक्टैयर, 280 रकबा 1.0603 हैक्टैयर, 278 रकबा 0.6718 हैक्टैयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम उदापुरिया प. ह. धुंवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 263 रकबा 0.1376 हैक्टैयर, 264 रकबा 0.1457 हैक्टैयर, 280 रकबा 1.0603 हैक्टैयर, 278 रकबा 0.6718 हैक्टैयर** की पडोसियान की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000— रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक १८.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाड़ा)	

Scanned with CamScanner